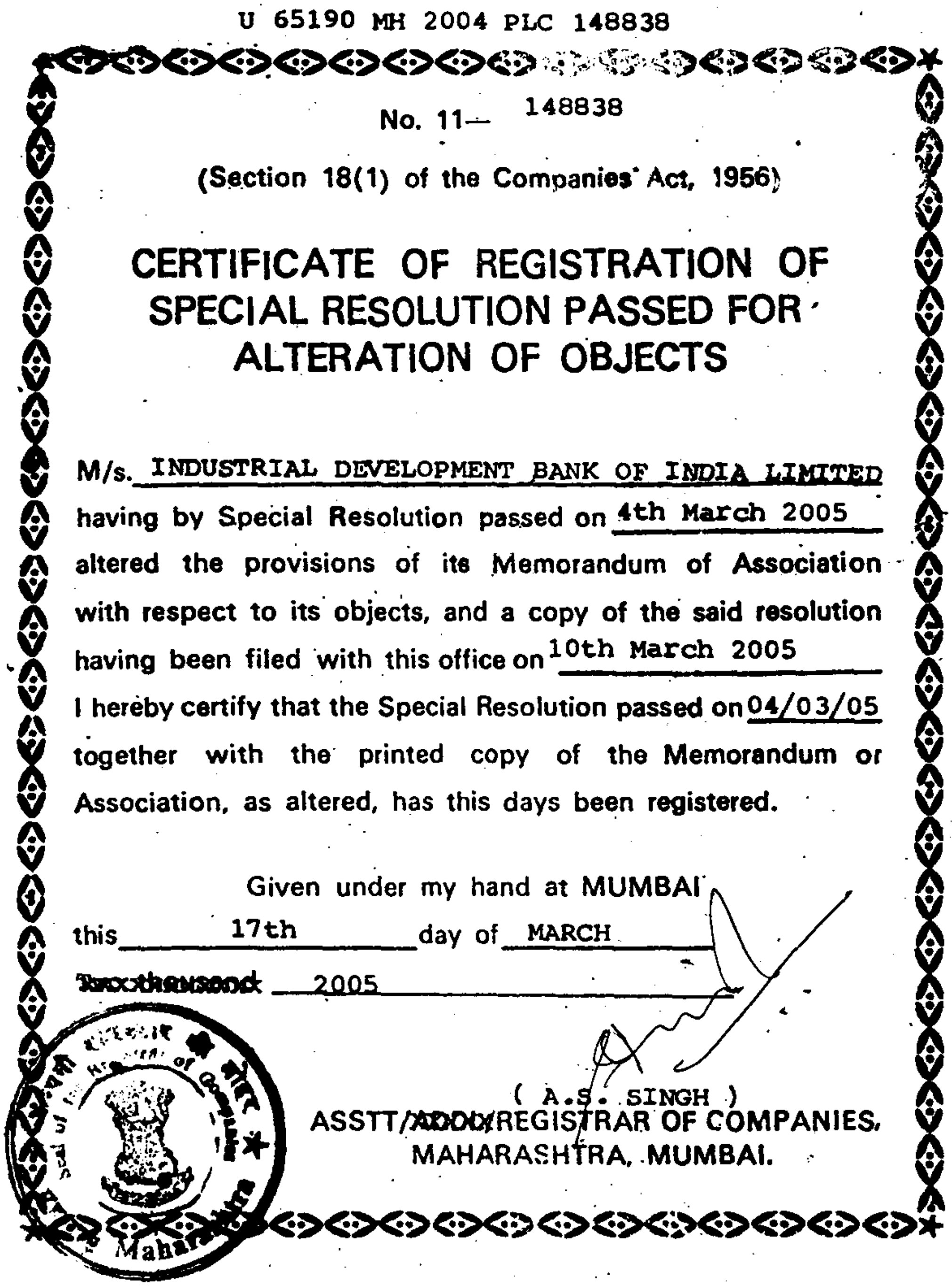

U 65190 MH 2004 PLC 148838

No. 11— 148838

(Section 18(1) of the Companies Act, 1956)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SPECIAL RESOLUTION PASSED FOR ALTERATION OF OBJECTS

M/s. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LIMITED having by Special Resolution passed on 4th March 2005 altered the provisions of its Memorandum of Association with respect to its objects, and a copy of the said resolution having been filed with this office on 10th March 2005 I hereby certify that the Special Resolution passed on 04/03/05 together with the printed copy of the Memorandum or Association, as altered, has this days been registered.

Given under my hand at MUMBAI

this 17th day of MARCH

~~Two thousand~~ 2005

(A.S. SINGH)
ASSTT/~~ADDL~~/REGISTRAR OF COMPANIES,
MAHARASHTRA, MUMBAI.

(कंपनी अधिनियम,1956)

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
के
बहिर्नियम

I. कंपनी का नाम ''**आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** '' है.

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में होगा जो महाराष्ट्र के कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में मुंबई में है.

III. कंपनी की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(क) निगमन के बाद कंपनी मुख्यतः इन उद्देश्यों के लिए काम करेगी

1. भारत में और इसके बाहर सभी तरह के बैंकिग कारोबार आरंभ करना और चलाना.

2. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अंतर्गत गठित एक निगम है, की उपक्रमधारिता को अंतरण द्वारा या अन्यथा इसके समस्त कारोबार, परिसंपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों और सभी संपत्तियों, चल एवं अचल, वास्तविक एवं वैयत्तिक, भौतिक एवं अभौतिक, अधिकार में या आरक्षित, वर्तमान या किसी भी रूप में व स्थान पर प्रासंगिक; जिसमें भूमि, भवन, वाहन, नकद शेषराशियां, जमाराशियां, विदेशी मुद्राएं, प्रकट एवं अप्रकट आरक्षितियां, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, भंडार निवेश, शेयर, बांड, डिबेंचर, प्रतिभूतियां, सहायताप्राप्त इकाइयों में कोई प्रबंधन, ऋण, अग्रिम एवं किसी व्यक्ति या सहायताप्राप्त इकाइयों को दी गई प्रत्याभूतियां, काश्तकारियां, पट्टेदारियां और बहीं ऋणों तथा ऐसी संपत्ति से प्रोद्भूत अन्य सभी अधिकार एवं हित, जो उपक्रमधारिता के संबंध में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व, कब्जाधारिता या अधिकार के अंतरण की तारीख से तुंरत पहले उसे थे, सभी खाता बहियों, पंजियों, अभिलेखों एवं दस्तावेजों, भारत में या इसके बाहर सभी प्रकार के ऋणों, दायित्वों और देयताओं सहित, जो तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में निहित थे; को अर्जित करना.

3. उद्योग का वित्तपोषण, अभिवृद्वि या विकास और उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए:-

(क) इनको ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना-

(i) किसी राज्य वित्तीय नियम या किसी अन्य राज्य औद्योगिक विकास निगम या किसी राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, कोई वित्तीय संस्था, कोई अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक; जिन्हें ऐसे निगमों, वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा किन्हीं ऋणों या अग्रिमों पर पुनर्वित्त दिया गया हो;

(ii) कोई अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक या ऐसा राज्य वित्त निगम या कोई अन्य वित्तीय संस्थान जिसे ऐसे बैंक या संस्था द्वारा ऋण या अग्रिम पर पुनर्वित्त दिया गया हो, जो भारत से पूंजीगत माल, वस्तुओं या सौदों के निर्यात के उद्देश्य से या उसके संबंध में हो अथवा भारत से बाहर किसी टर्न-की परियोजना को पूरा करने के लिए हो.

(ख) किसी निर्माता, उपभोक्ता या पूंजीगत वस्तुएं बेचने वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित, आहरित, स्वीकृत या पृष्ठांकित विनिमय बिलों और वचन पत्रों को स्वीकार करना, भुनाना या पुनर्भुनाई करना;

(ग) भारत में या इसके बाहर किसी राज्य वित्त निगम या अन्य किसी वित्तीय संस्था के स्टॉकों, शेयरों, बांडों या डिबेंचरों में निवेश करना अथवा खरीदना;

(घ) किसी राज्य वित्त निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था को उक्त निगम या संस्था के किसी भी कारोबार के उद्देश्य से लाइन ऑफ क्रेडिट या ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना;

(ङ) ऋण एवं अग्रिम देना या स्टॉक, शेयरों, बांडों या डिबेंचरों या प्रतिभूतियों में निवेश, उनकी खरीद या हामीदारी;

बशर्ते कि इस धारा में उपबंधित कुछ भी कंपनी को ऋण या अग्रिम देने, डिबेंचरों में निवेश करने, उनकी बकाया राशियों को ऋण, अग्रिम या डिबेंचर की अदाएगीयोग्य अवधि के दौरान उस संस्था के शेयरों या स्टॉक में परिवर्तनीयता के विकल्प को निवारित नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण – इस खंड में ''उनकी बकाया राशियों को'' का उपयोग किसी ऋण या अग्रिम के बारे में किया गया है, जिसका अर्थ ऐसे ऋण या अग्रिम के मूलधन, ब्याज एवं उन अन्य प्रभारों से है, जो राशियों को स्टॉक एवं शेयरों में परिवर्तित करने के समय पर भुगतान- योग्य हैं.

(च) ऋण एवं अग्रिम देना —

(i) कोई भी व्यक्ति जो उत्पाद निर्यात करता हो; या

(ii) भारत के बाहर किसी व्यक्ति को भारत से पूंजीगत माल निर्यात करने के संबंध में; या

(iii) भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर टर्न - की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु;

(छ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित किसी लिखत को प्रतिफल हेतु अंतरित करना;

(ज) किसी व्यक्ति को निवेश के उद्देश्यों से ऋण एवं अग्रिम देना

(झ) आस्थगित भुगतानों की गांरटी देना;

(ञ) गांरटी देना-

(i) सार्वजनिक बाजार में जारी किए गए ऋणों; तथा

(ii) किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण ;

(ट) किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा स्टॉक, शेयर, बांड या डिबेंचर या प्रतिभूतियों के निर्गम से उत्पन्न,या इनसे संबंधित दायित्वों की गारंटी देना;

(ठ) ऋण पत्र प्रदान करना, खोलना, जारी करना, पुष्टि या पृष्ठांकन करना, बातचीत करना अथवा इनके अंतर्गत बिलों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना;

(ड) भारत में व इसके बाहर सलाहकारी एवं मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना;

(ढ) डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के धारकों के लिए न्यासी के रूप में काम करना;

(ण) ऐसी संस्था की उपक्रमधारिता को उसके कारोबार, आस्तियों एवं देयताओं सहित अर्जित करना जिसका प्रमुख उद्देश्य उद्योग का संवर्द्धन या विकास हो, अथवा ऐसे संवर्द्धन या विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना हो;

(त) उद्योग के विकास के संबंध में विपणन या निवेशों के मूल्यांकन या तत्संबंधी शोध एवं सर्वेक्षण करना तथा तकनीकी – आर्थिक अध्ययन करना;

(थ) किसी भी व्यक्ति को उद्योग के संवर्द्धन, प्रबंधन या विस्तार के लिए तकनीकी, कानूनी, विपणन संबंधी व प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना;

(द) भारत में तथा इसके बाहर औद्योगिक ढांचे की कमियां को दूर करने के लिए योजना बनाना, संवर्द्धन करना तथा उद्योगों का विकास करना;

(ध) कंपनी को जो उचित लगे, उसके अनुसार कंपनियों, सहायता संस्थाओं, सोसाइटियों, ट्रस्टों या व्यक्तियों के ऐसे संघों का विकास करना, गठन करना या चलाना अथवा उनके विकास, निर्माण या संचालन में सहयोग करना;

4. आम तौर पर हर तरह का बैंकिंग कारोबार करना

*5. कॉरपोरेट एजेंट के रूप मे बीमा कारोबार का अनुरोध करना या प्राप्त करना

*[कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17(1) के अधीन पारित विशेष संकल्प जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192 ए के उपबंधों के अनुसार डाक मतपत्र द्वारा तथा कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना)नियमावली 2001 द्वारा जोड़ा गया है]

(ख) मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक या सहायक उद्देश्य हैं

6. ऋणों द्वारा या अन्यथा धन उधार लेना, जुटाना या स्वीकारना तथा प्रतिभूति पर या उसके बिना धन को उधार या अग्रिम रूप में देना; विनिमय बिल, हुंडियां, वचन पत्र, कूपन, ड्राफ्ट, लदान बिल, रेलवे रसीद, वारंट, डिबेंचर, प्रमाणपत्र, स्क्रिप व अन्य लिखतें एवं प्रतिभूतियों का आहरण, निर्माण, स्वीकारना, भुनाना, खरीदना, बेचना, वसूल करना तथा सौदा करना चाहे वो अंतरणीय या परक्राम्य हों या नहीं; ऋण पत्र, यात्री चेक व सर्कुलर नोट प्रदान करना व जारी करना, सोना-चांदी व नकदी की खरीद, खरीदारी करना, अर्जित करना, धारित करना, बेचना और अन्यथा सौदा करना; विदेशी बैंक नोटों सहित विदेशी मुद्रा खरीदना व बेचना तथा विदेशी मुद्रा सलाहकारी सेवाएं देना; स्टॉक, निधियों, शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बांडों, दायित्वों, प्रतिभूतियों का सौदा करना और उनका अर्जन, धारण, कमीशन पर निर्गम, अभिगोपन तथा सभी तरह के निवेश करना; घटकों या दूसरों की ओर से बांडों, स्क्रिपों या अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री, ऋणों व अग्रिमों पर बातचीत, सभी तरह के बांडों, स्क्रिपों या मूल्यवान वस्तुओं को जमा या सुरक्षित अभिरक्षा या अन्यथा के लिए प्राप्त करना; सेफ डिपॉजिट वॉल्ट उपलब्ध कराना, धन और प्रतिभूतियों का संग्रहण और अंतरण; बीमा; म्यूचूअल फंड का प्रायोजन, म्यूचूअल फंड में न्यासी के रूप में काम करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड जारी करना और उनमें व्यवहार करना या कोई अन्य ऋण उपलब्ध कराना.

7. किसी कंपनी, निगम या संगठन के शेयरों, स्टॉक, डिबेंचरों या डिबेंचर स्टॉक या अन्य ऋणों के किसी निर्गम, सार्वजनिक या निजी, राज्य का, नगरपालिका संबंधी; का कार्यान्वयन, बीमा करना, गारंटी देना, हामीदारी, प्रबंधन और संचालन का कार्य करना तथा ऐसे किसी निर्गम के लिए ऋण देना.

8. किसी सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के एजेंट के रूप में काम करना; माल की निकासी और प्रेषण, प्राप्ति व निपटान करने और अन्यथा ग्राहक की ओर से अटॉर्नी के रूप में कार्य करने हेतु किसी भी तरह की कारोबारी एजेंसी को चलाना.

9. सार्वजनिक एवं निजी ऋणों हेतु संविदा करना; उन पर बातचीत व निर्गम करना.

10. सभी तरह का गारंटी और क्षतिपूर्ति कारोबार करना और चलाना.

11. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बचत, जमा, नामे, प्रभार, निवेश या अन्य तत्संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना (चाहे वे व्यष्टि, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, अन्य निगमित निकाय या अन्य संस्थाएं हों जिनमें सांविधिक निगम भी शामिल हैं), चाहे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में हों, उन्हें ऋण देकर, नामे, प्रभार, भंडारित मूल्य, पूर्वदत्त, स्मार्ट या अन्य कार्ड द्वारा चाहे निजी लेबल, सह - ब्रांडेड, सुसंबद्ध या अन्यथा हो तथा इसी स्वरूप की सभी अन्य संबंधित सेवाएं देना और साथ ही कार्ड स्वीकारण नेटवर्क की स्थापना व रखरखाव (भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या स्वचालित मशीन नेटवर्क सहित) और व्यापारियों या जारीकर्ता बैंकों को भुगतान करना या निपटान करना व अन्य सेवाएं देना है जो कार्डधारकों द्वारा कार्ड का उपयोग करते हुए जमा, नामे, प्रभार, निवेश, भंडारित मूल्य, पूर्वदत्त, स्मार्ट या अन्य कार्ड द्वारा चाहे निजी लेबल, सह - ब्रांडेड, सुसंबद्ध या अन्यथा के संबंध में हों.

12. किसी भी अवधि के लिए, किसी भी रूप में रुपया या अन्य मुद्राओं में धन उधार देना, (प्रतिभूति सहित या बिना), जिसमें (किंतु सीमित नहीं) शेयरों, स्क्रिप, बांडों, डिबेंचरों एवं अन्य समान प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल हैं; किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (चाहे व्यष्टि, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, अन्य निगमित निकाय या अन्य संस्थाएं जिनमें सांविधिक निगम, सरकारें, राष्ट्र, अधिराष्ट्र ,सार्वजनिक संस्था या निकाय या प्राधिकरण, सर्वोच्च, स्थानीय या अन्यथा या अन्य संस्थाएं हों) को ऋण, अग्रिम, किश्तों में ऋण, व्यापार वित्त, भाड़ा देना या अन्यथा, चाहे वो निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक, जो किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता हैं जिसमें कृषि, बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सभी प्रकार के उद्योग जिनमें संरचनागत कार्य, निर्यात - आयात, आवास, यातायात, पर्यटन, उपभोक्ता, या अन्य कारोबार एवं व्यवासायिक गतिविधियां तथा साथ ही (क) किसी फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड भूमि संपदा की खरीद या अर्जन या अधिकार, स्वामित्व या किसी भूमि या संपत्ति में हित ; (ख) निर्माण, स्थापना, खरीद, बदलाव, मरम्मत, नवीकरण, रखरखाव एवं या किसी आवासीय घर या भवन या वास्तविक संपदा का कोई रूप या इसका कोई भाग; (ग) औद्योगिक संपदा औद्योगिक पार्क, तकनीकी पार्क या आवासीय कॉलोनियों की रचना, निर्माण एवं विकास के लिए ऋण या अग्रिम रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना.

13. डेरिवेटिव, वित्तीय लिखत, जिसमें फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, कैप कॉलर, फ्लोर, स्वैप ऑप्शन, बांड ऑप्शन या अन्य डेरिवेटिव लिखतें शामिल हैं; का निर्गम, निवेश, क्रय,खरीद, अर्जन, बिक्री, निपटान या अन्यथा व्यवहार या कारोबार करना, चाहे किसी भी बाजार में हो, या एक्सचेंज में या अन्यथा हो, एकल हेतु, व्यापारिक गतिविधियां, या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए (चाहे व्यष्टि, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, निगमित निकाय, सरकार, राष्ट्र, अधिराष्ट्र, सार्वजनिक संस्था या निकाय या प्राधिकरण,सर्वोच्च, स्थानीय या अन्यथा अथवा अन्य संस्थाएं) चाहे निजी क्षेत्र में हो, या सार्वजनिक क्षेत्र में.

14. बीमा मध्यवर्तियों की गतिविधियों का विकास, आयोजन या प्रबंध करना जिसमें बीमा, पुनर्बीमा, दलाल, सलाहकार, सर्वेक्षक, क्षति निर्धारक, क्षति नियंत्रण इंजीनियर, क्षति प्रबंधक, बीमांकिक विश्लेषक शामिल हैं और सभी प्रकार के बीमा उत्पादों का विकास, आयोजन या प्रबंधन करना जिसमें विपणन, व्यापार, वितरण या सेवाएं शामिल हैं, चाहे जीवन हो या सामान्य; वित्तीय, निवेश या अन्य उत्पाद जिसमें (बिना सीमा के) प्रतिभूतियां, यूनिट, इसी प्रकार के अन्य प्रमाणपत्र या कंपनी द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित सेवाएं चाहे व्यष्टि, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, निगमित निकाय, सरकार, राष्ट्र, अधिराष्ट्र, सार्वजनिक संस्था या निकाय या प्राधिकरण, सर्वोच्च, स्थानीय या अन्यथा अथवा अन्य संस्थाएं) चाहे निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र में.

15. व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से (चाहे व्यष्टि, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, निगमित निकाय, सरकार, राष्ट्र अधिराष्ट्र , सार्वजनिक संस्था या निकाय या प्राधिकरण, सर्वोच्च, स्थानीय या अन्य संस्थाएं) चाहे निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र में, हेतु स्वनिर्णय या गैर –स्वनिर्णय पर निधियों या निवेशों का विकास, आयोजन या प्रबंध करना.

16. किसी भी ऋण या अग्रिम या वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में या प्रतिभूति के भाग रूप में किसी भी ऐसी संपत्ति का अर्जन, प्रबंध, कब्जा, बिक्री और सामान्य व्यवहार करना अथवा ऐसी किसी संपत्ति का अधिकार, स्वत्व या उसमें हित रखना जो कंपनी को दी गई वित्तीय सहायता के प्रति देय राशियों की वसूली की प्रतिभूति से संबंधित हो या निदेशक उचित समझें.

17. कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों, या आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के संपर्कों के हित के लिए संगठनों, संस्थाओं, निधियों, ट्रस्टों और परिकलित सुविधाओं की स्थापना और सहयोग या सहायता देना; पेंशन और भत्ते देना तथा बीमे का भुगतान करना; धमार्थ या हितकारी उद्देश्यों या किसी प्रदर्शनी हेतु अथवा किसी सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी उद्देश्य के लिए अभिदान करना या धन की गारंटी देना.

18. अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए या प्रशिक्षण सुविधाएं देने हेतु किसी भवन, या निर्माण या अचल संपत्ति को किराये पर लेना या देना, अर्जन, निर्माण, रखरखाव तथा बदलाव करना.

19. कंपनी की संपूर्ण संपत्ति व अधिकारों या उसके किसी भाग की बिक्री, सुधार, प्रबंध, विकास, उसे बदलना, पट्टा, बंधक, निपटान या खाते में लेना या अन्यथा व्यवहार करना.

20. भारत में निर्यात या भारत में आयात के आशय से वित्तीय सहायता या अन्य सेवाएं या किसी अन्य देश को माल या सेवाएं या दोनों उपलब्ध कराना.

21. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में दी गई शर्तों एवं निबंधनों की अपेक्षानुसार करेंसी चेस्ट एवं स्मॉल कॉयन डिपो खोलना, स्थापित करना, उनका रखरखाव और संचालन करना तथा सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाएं करना जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ इन कार्यों को किया जा सके.

22. संपदाओं के निष्पादक या ट्रस्टी के रूप में ट्रस्टों एवं प्रशासन को प्रारंभ करना और कार्यान्वित करना; तथा प्रशासकों, अभिभावकों मध्यस्थों, रिसीवरों, प्रबंधकों, समापकों की भांति ऐसी संपदा, धन, संपत्ति (चल एवं अचल दोनों) एवं उसमें निहित किसी कारोबार को धारित करना, प्रशासन, प्रबंध, बिक्री, वसूली, निवेश तथा उसका निपटान करना जिसमें, कंपनी, निष्पादक, प्रशासक, ट्रस्टी , अभिभावक, रिसीवर, मध्यस्थ, प्रबंधक या समापक है.

23. कंपनी के हितों की संरक्षा व उसकी ओर से प्रतिभूतियों को धारण करने के लिए ट्रस्टियों (व्यष्टि या निगम) को नियुक्त करना.

24. कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक पर कोषपाल या लेखपाल का कार्य आरंभ करना व कार्यान्वित करना तथा किसी कंपनी, सरकार, प्राधिकरण, निकाय या समिति, चाहे निगमित हो या नहीं; हेतु शेयरों, स्टॉक, निधियों, या प्रतिभूतियों के संबंध में रजिस्टर रखना तथा अंतरणों के पंजीकरण, प्रमाणपत्रों को जारी करने और ऐसे ही अन्य कार्यों के संबंध में कार्य करना.

25. सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए कस्टोडियन या जमाकर्ता के रूप में कार्य करना, स्वयं या किसी के सहयोग से या किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या सहकारी विभाग या प्राधिकरण के माध्यम से सभी प्रकार के भंडारण के आशय से निशुल्क या अन्यथा किसी भी रूप में, धन, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के प्रलेखों हेतु सेफ, स्ट्रांग रूम तथा अन्य ग्रहणशीलों को किराये पर देना या अन्यथा निपटान करना.

26. पंजीकार व अंतरण एजेंट तथा निर्गम के पंजीकार, निर्गम एजेंटों एवं अदाकर्ता एजेंटों के रूप में कार्य करना.

27. किसी कारोबार, संस्था, उपक्रम, कंपनी, निगमित निकाय, साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संगठन चाहे निगमित हो या नहीं, चाहे चालू संस्था के रूप में हो या संस्था के हिस्से के रूप में; को अधिग्रहण, बोलियों, विलयन, समामेलन जिसमें सीमापारीय विलयन और अर्जन शामिल हैं, विविधीकरण, पुनर्वास या पुनर्संरचना पर परामर्श देना अथवा देने, लेने, परिचालन व / या अन्यथा आयोजन, स्वीकृति या कार्यान्वयन का प्रस्ताव देना या अन्यथा जैसा भी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो.

28. किसी सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या नगरपालिका या स्थानीय निकायों के साथ कंपनी के उद्देश्यों या उनमें से किसी के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना तथा ऐसी किसी सरकार या प्राधिकरण से कोई रियायतें, अनुदान या डिक्री अधिकार या विशेषाधिकार आदि प्राप्त करना जिन्हें कंपनी उचित समझे अथवा जिन्हें कंपनी के खातों में लेने से असर पड़ता हो तथा ऐसी किन्हीं व्यवस्थाओं, रियायतों, अनुदानों, डिक्रियों, अधिकारों या विशेषाधिकारों को कार्य, विकास, पालन, प्रयोग के द्वारा खातों में लेकर असरकारी बनाना.

29. शेयरों, स्टॉक, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बांड, जमाओं, दायित्वों तथा सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाणपत्रों में व्यवहार करना अथवा किसी व्यक्ति, कंपनी, निगमित निकाय, ट्रस्ट, समिति, संगठन, सरकार या प्राधिकरण द्वारा जारी या प्रत्याभूत किन्हीं अन्य वित्तीय लिखतों में अंशदान करना या खरीदना, हामीदारी, निवेश या अर्जन, धारिता, प्रबंध, बिक्री, निपटान, बदलना, निर्गम या खाते में लेना.

30. कंपनी जिसे आवश्यक या कंपनी के किसी कारोबार के लिए सुविधाजनक समझे, ऐसी किसी चल या अचल संपत्ति, पेटेंट, लाइसेंस, अधिकारों या विशेषाधिकारों को खरीद कर पट्टे पर या बदले में लेकर, किराए पर या अन्यथा अर्जित करके उसे ऐसे रूप में विकसित कर, खाते में लेगी जिसमें शीघ्र व्यवहार हो सके और इस अर्जित संपत्ति या अधिकारों का भुगतान किया जा सके, जो चाहे नकद हो या किसी अन्य रूप में एक या अधिक रीतियों से तथा जो आंशिक रूप में भिन्न और सामान्यत: ऐसी शर्तों पर हो जिन्हें कंपनी के निदेशकों द्वारा निर्धारित किया गया है .

31. किसी अन्य कंपनी (किसी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक, आवास वित्त कंपनी सहित), निगम, साझेदारी फर्म, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही, या बंद की जा रही किसी अन्य कंपनी के संपूर्ण या आंशिक कारोबारी हित, ख्याति, संपत्ति संविदाओं, करारों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, प्रभावों और दायित्वों का विलयन, समामेलन या समेकन, अर्जन, खरीद, या अन्यथा करना; जिस कारोबार को करने के लिए कंपनी प्रधिकृत है, या कंपनी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त संपत्ति को ऐसे अनुबंधों एवं निबंधनों के अनुसार तथा धन, शेयरों, मूल्यधारिता या अन्यथा के रूप में ऐसी मूल्य दर या प्रतिफल (यदि हो) पर धारित करना जिसे उचित समझा जाए.

32. विदेशी मुद्रा विनिमय डीलर का कार्य करना तथा सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा की खरीद, बिक्री या अन्यथा व्यवहार करना जिसमें विदेशी बैंक नोट, विदेशी मुद्रा विकल्प, वायदा रक्षा (फॉरवर्ड कवर), सभी प्रकार के विनिमय (स्वेप) शामिल हैं; तथा स्वयं अपने लिए या किसी व्यक्ति, निगमित निकाय, कंपनी, समिति, फर्म या व्यक्तियों के संगठन के लिए जो समाविष्ट हो या नहीं हो; की ओर से विदेशी मुद्रा में समस्त संव्यवहार करना.

33. कंपनी की उपक्रमधारिता या उसके किसी भाग की ऐसे प्रतिफल पर बिक्री या निपटान करना जिसे कंपनी उचित समझे, तथा विशेषकर किसी ऐसी अन्य कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या प्रतिभूतियों के लिए; जिसके उद्देश्य पूर्णतया या अंशतः कंपनी के समान हों.

34. मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, निवेश बैंकिंग, पोर्टफोलियो निवेश प्रबंधन, कॉरपोरेट परामर्शदाता व सलाहकार, ऋणों एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का समूहन तथा बाजार निर्माण का कारोबार करना.

35. शेयर व स्टॉक दलालों, शेयर व स्टॉक जॉबरों, शेयर डीलरों, निवेश फंड मैनेजरों द्वारा किए जा रहे शेयर दलाली, वित्त दलाली के कार्य एवं अन्य सेवाएं देना, जिनमें सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाएं भी हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं देने में सक्षम होना तथा सार्वजनिक व निजी निर्गमों का प्रायोजन या शेयरों व ऋण पूंजी का नियोजन और ऐसे निर्गमों पर समझौते व हामीदारी तथा सभी प्रकार के एवं सभी जोखिमों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना.

36. उद्योगों के विकास के लिए उद्यम पूंजी, बीज पूंजी, जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने का कारोबार करना.

37. बैंक एश्योरेंस तथा अन्य संबंधित गतिविधियों का कारोबार करना;

38. प्राप्य ऋणों एवं दावों की खरीद व बिक्री द्वारा जिसमें बीजक भुनाना शामिल है, फैक्टरिंग का कारोबार करना तथा बिल संग्रहण, ऋण वसूली एवं अन्य फैक्टरिंग सेवाएं देना;

39. किराया खरीद वित्त और लीजिंग का कारोबार करना जिसमें उप-लीजिंग, सीमापारीय लीजिंग समूहन शामिल है तथा लीज पर या किराया खरीद आधार पर देने के लिए सभी प्रकार के संयंत्र, उपकरण, मशीनें, वाहन, भवन, व स्थावर संपदा को अर्जित करना जो निर्माण, प्रसंस्करण, यातायात व व्यापारिक कारोबार एवं अन्य वाणिज्यिक व सेवा कारोबार के लिए आवश्यक हैं तथा लीज आधार पर मशीनों के निर्यात या आयात हेतु वित्त प्रदान करना.

40. सभी तरह की विधाओं में परामर्शी सेवाओं का कारोबार करना और भारत में या इसके बाहर बाह्य स्रोत व्यवसाय-प्रक्रिया (बी पी ओ) सेवाएं देना ;

41. किसी संपत्ति को दूसरों के नाम से धारित करना जिसके अर्जन के लिए कंपनी प्राधिकृत है.

42. कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण या अग्रिम, या इसके द्वारा किसी अन्य वसूलीयोग्य राशि के संबंध में कंपनी के अधिकारों व हितों (इसके अन्य प्रासंगिक अधिकारों सहित) का अंतरण करना, चाहे संपूर्ण हों या आंशिक, किसी लिखत को जारी या कार्यान्वित करके अथवा किसी लिखत को पृष्ठांकन द्वारा अंतरित करके, या किसी अन्य तरीके से जिससे उस ऋण या अग्रिम के संबंध में अधिकार एवं हित विधिपूर्वक अंतरित हो जाए और कंपनी ऐसे अंतरण के होते हुए भी, अंतरिती के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सके.

43. किसी दिए गए ऋण या अग्रिम, या उस बैंक या संस्था द्वारा किसी अन्य वसूलीयोग्य राशि के संबंध में किसी बैंक या अन्य संस्था के अधिकारों और हितों को अंतरण या समनुदेशन द्वारा अर्जित करना (इसके अन्य प्रासंगिक अधिकारों सहित), चाहे संपूर्ण हों या आंशिक, किसी लिखत को जारी या कार्यान्वित करके अथवा किसी लिखत को अंतरित या किसी अन्य तरीके से करके.

44. अपने कारोबार के लिए उपहार, अनुदान, दान, धर्मादाय, सरकार से निधियां या कोई अन्य स्रोत प्राप्त करना.

45. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों, या इसकी वित्तीय या अन्य सहायता के प्रति या क्षतिपूर्तियों, लाइसेंसों, अनुमतियों, गारंटियों, और इसके द्वारा दी गई प्रति गारंटियों अथवा कंपनी द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में ब्याज, फीस, कमीशन, वचनबद्धता, सेवा व अन्य शुल्कों की उगाही एवं वसूली.

46. कंपनी के संवर्द्धन, निर्माण, पंजीकरण एवं स्थापना तथा इसकी पूंजी के निर्गम के लिए प्रासंगिक सभी लागतों, शुल्कों एवं खर्चों का भुगतान.

47. किसी ह्रास निधि, विकास छूट निधि, निवेश भत्ता आरक्षित निधि, आरक्षित निधि, या कोई अन्य विशेष निधि, सृजित करना जो कंपनी की किसी भी संपत्ति में ह्रास के लिए हो या मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए या कंपनी के हितों के प्रति किसी अन्य सहायक उद्देश्य के लिए हों.

48. कंपनी के धन का ऐसी विधि से निवेश करना व व्यवहार करना या जमा के लिए रखना जिसे कंपनी उचित समझे.

49. ओवरड्राफ्ट खातों सहित सभी प्रकार के बैंक खाते खोलना तथा उनका प्रचालन करना.

50. किसी भी प्रकार का बैंकिंग कारोबार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीनों की स्थापना तथा रखखाव.

51. भारत में या इसके बाहर एजेंसियों, कार्यालयों अथवा शाखाओं की स्थापना तथा रखरखाव.

52. भारत से बाहर किसी भी स्थान पर कानूनी रूप में या इसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण कराना या मान्यता प्राप्त करना.

53. ऐसे उपाय करना जिससे कंपनी को विश्व के किसी भी भाग में वही अधिकार व विशेषाधिकार दिए जा सकें जो इसी स्वरूप की स्थानीय कंपनियों या साझेदारियों को मिले हुए हैं.

54. ऐसे दावे, मांगें, विवाद या कोई अन्य प्रश्न जो कंपनी के बारे में हों या विरुद्ध हों या जिसमें कंपनी की अभिरुचि हो या संबंधित हों, और कंपनी व सदस्य या कंपनी के संदस्यों एवं / अथवा उसके प्रतिनिधि के बीच हों, या कंपनी और तृतीय पक्षकार के बीच हों, उन्हें मध्यस्थता व पालन एवं क्रियान्वन के लिए तथा सभी कृत्यों, मामलों व विषयों को कार्यान्वित करने या पंचाटों को लागू करने हेतु संदर्भित करना या संदर्भित करने के लिए सहमत होना.

55. कंपनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति या स्थाई अथवा अस्थाई नियोजन या प्रतिनियुक्ति पर लेना तथा उनकी सेवाओं के लिए वेतन, उपदान, भविष्य निधि एवं अन्य योगदानों का भुगतान करना.

56. ऐसे विशेषज्ञों का नियोजन करना जो किसी कारोबारी संस्था तथा उपक्रमों की स्थिति, संभावनाएं, मूल्य, स्वरूप एवं परिस्थितियों की; सामान्यत: किन्हीं आस्तियों, रियायतों, संपत्तियों अथवा अधिकारों की जांच-पड़ताल और परीक्षा कर सकें.

57. कंपनी के हित में या इसके उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी के किसी कर्मचारी को या किसी उम्मीदवार को भारत में या विदेश में प्रशिक्षण दिलाना या प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना.

58. कंपनी के निदेशकों, प्रवर्तकों और सेवकों को कंपनी के हित में और इसके लिए किए गए या करने के लिए आदेशित अथवा कार्यालयीन कर्त्तव्यों के निष्पादन में उनको हुई किसी हानि या नुकसान या विपत्ति, जो इस बारे में और इस आशय के लिए हों, के संबंध में कार्रवाइयों, लागतों, नुकसानों, दावों एवं मांगों की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना तथा बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित बीमा पॉलिसियां लेना.

59. कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति की हानि या चोटिल होने या कंपनी को किसी अन्य हानि के प्रति बीमा करना और बनाए रखना.

60. कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व-कर्मचारियों और उनकी पत्नियों व परिवारों या आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के संपर्कों हेतु कल्याण के उपाय करना; मकानों या आवासों का निर्माण करके या निर्माण में सहयोग देकर अथवा धन, पेंशन, भत्ते, बोनस, अनुग्रह राशि या अन्य राशियां प्रदान करके या भविष्य निधि तथा अन्य संगठनों / संस्थानिक निधियों या ट्रस्टों का निर्माण करके और उनमें समय–समय पर अभिदान या अंशदान करके तथा निर्दिष्ट, शैक्षिक व मनोरंजक स्थानों, अस्पतालों व डिस्पेंसरियों, चिकित्सीय व अन्य उपयुक्त स्थानों के प्रति अभिदान या अंशदान करके तथा ऐसी अन्य सहायता देकर; जिसे कंपनी उचित समझे.

61. बैंकिंग, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य पर प्रभाव डालने वाले व्यापारिक या अन्य सन्नियमों पर विचार करके उनके सुधार की पहल को समर्थन देना तथा कंपनी की बेहतरी के लिए ऐसे कानूनों एवं उपायों का प्रवर्तन करना जो इस बैंकिंग, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य पर असरकारी हो सकें.

62. विश्व के किसी भी भाग में किसी भी कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, ट्रेड नेम, ब्रांड, लेबल, पेटेंट अधिकार, आविष्कार आदेश पत्र, डिजाइन या आविष्कार, अथवा भारत संघ या किसी अन्य देश या सरकार या अन्यथा के पेटेंट कानूनों के अंतर्गत सुधार या इसके संबंध में प्रयुक्त क्रियाविधियों या सुरक्षा या इसमें वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन, प्राप्ति, पंजीकरण, खरीद, लीज़, अर्जन एवं धारिता हेतु लाइसेंस लेना या अन्यथा, संरक्षण, स्वामित्व, उपयोग, नवीकरण, प्रयोग, विकास, परिचालन एवं आरंभ तथा विक्रय, समनुदेशन, तत्संबंधी लाइसेंस या प्रादेशिक अधिकार देना या अन्यथा खाते में लेना या निपटान करना; तथा ऐसे किसी ट्रेड मार्क, ट्रेड नेम, ब्रांड, लेबल, पेटेंट, आविष्कार, प्रक्रिया या ऐसे ही अन्य कार्यों या अधिकारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, उपयोग, प्रयोग या अन्यथा या प्राप्ति का प्रयास करना और ऐसे किसी पेटेंट, आविष्कार या अधिकार के प्रयोग, परीक्षण या सुधार के लिए राशि व्यय करना.

63. भारत में और इसके बाहर चैंबर ऑफ कॉमर्स व अन्य व्यावसायिक एवं सार्वजनिक निकायों से संपर्क करना तथा व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य तथा अन्य सुविधाओं के संरक्षण और उन्नति के लिए प्रचार एवं संवर्द्धन के उपाय करना.

64. भारत में या विश्व के किसी भी भाग में स्टॉक / सिक्योरिटी एक्सचेंजों, व्यापारिक संगठनों, माल (कमोडिटी) एक्सचेंजों, समाशोधन गृहों या संघों या अन्यथा की सदस्यता का लाभ लेने हेतु एक या उससे अधिक सदस्यता प्राप्त एवं धारित करना तथा बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, बीमा कंपनियों, दलालों, प्रतिभूति डीलरों या माल डीलरों या किसी अन्य संगठन की सदस्यता प्राप्त एवं धारित करना, जिसकी सदस्यता कंपनी के कारोबार के संचालन में किसी भी रूप में उपयोगी हो या हो सकती हो.

65. भारत में या विश्व के अन्य भागों में पूर्णत: या अंशत: समान उद्देश्य रखने वाली अन्य संस्थाओं के साथ अभिदान का भुगतान करके, एक नामांकित सदस्य के रूप में, वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता, सहयोग या सहकारिता द्वारा या किसी अन्य रूप में निकट संपर्क बनाए रखना, जैसा कंपनी आवश्यक समझे.

66. सभी श्रेणियों के लोगों में मितव्ययिता और बैंकिंग की आदत का विकास और कंपनी के कारोबार का विज्ञापन करने तथा बैंकिंग को सामान्यत: लोकप्रिय बनाने के आशय से उपाय निरूपित करना और अपनाना तथा कंपनी की राशियों में से व्यय करना.

67. ऐसे समुचित उपायों को अपनाना जिनसे कंपनी के कारोबार, हितों और सेवाओं की जानकारी दी जा सके और विशेषकर प्रदर्शनियों में एवं प्रदर्शनियों का संवर्द्धन करके, प्रेस, रेडियो या टेलीविजन में विज्ञापन देकर, परिपत्र द्वारा, खरीद द्वारा एवं कला या अभिरूचि के कार्यों का प्रदर्शन करके, पुस्तकों या आवधिकों के प्रकाशन द्वारा तथा पुरस्कार, पारितोषिक एवं चंदा प्रदान करके.

68. ऐसे सभी उपाय एवं कार्रवाइयां करना या करने के लिए सहमत होना जो कंपनी की साख को बनाए रखने व समर्थन देने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हों और जो जनता में भरोसे को बनाएं व इस पर खरी उतरें तथा कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली वित्तीय बाध्यताओं को निवारित या न्यूनतम करती हों.

69. कंपनी के प्रयोजनों को आगे ले जाने के लिए विशिष्ट उत्पादों, कारोबारों और संस्थाओं या सर्वोच्च प्राधिकरणों के लिए बाजार अनुसंधान तथा अन्य सर्वेक्षण करना या व्यवस्था करना.

70. इसमें वर्णित किन्हीं भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में व इसके बाहर सभी प्रकार के आंतरिक या बाहरी विदेशी सहयोगों, लाइसेंस व्यवस्थाओं, तकनीकी सहायता, वित्तीय एवं व्यापारिक व्यवस्थाओं सहित निर्यात के लिए बाजारों के सर्वेक्षण तथा बाजारों की स्थिति के अध्ययन में शामिल होना.

71. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बाजार और साख सूचना संग्रहित, समेकित और प्रसारित करना.

72. कंपनी के अधिकृत कारोबार के लिए किसी भी रूप में सहायक लगने वाले अनुसंधान का अभिनिर्धारण, रखरखाव और संचालन करना या अन्यथा उसे आर्थिक सहायता या पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों और संगोष्ठियों के लिए सहायता देकर तथा वैज्ञानिक या तकनीकी प्राध्यापकों, शिक्षकों या अनुसंधानकर्ताओं को पारिश्रमिक या अंशदान देकर और पारितोषिकों या छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, छात्रों को अनुदान या अंशदान देकर या अन्यथा तथा सामान्यत: सभी प्रकार के अध्ययनों, अनुसंधानों, अन्वेषणों, प्रयोगों, परीक्षणों और आविष्कारों को प्रोत्साहन देना, उनका संवर्द्धन करना तथा पुरस्कृत करना.

73. समापन की स्थिति में कंपनी की संपत्ति या आस्तियों को इसके सदस्यों में " नकद राशि या वस्तु '' के रूप में वितरित करना.

74. कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा या योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना.

75. परियोजनाओं के विकास में विदेशी सहभागिता की व्यवस्था और उसे सरल बनाना जिसमें बुनियादी परियोजनाएं भी शामिल हैं.

76. अपने ऋण संविभाग का प्रतिभूतिकरण और सभी प्रकार की परियोजनाओं के विकास और वित्तपोषण में लगी कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं के ऋण संविभाग के संवर्द्धन और प्रतिभूतिकरण में मदद देना तथा प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों के लिए एक द्वितीयक बाजार का निर्माण व विकास करना जिसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना भी शामिल है.

77. किसी भी प्रकार की वित्तीय आस्ति, प्राप्तियों, ऋणों, चाहे असुरक्षित हों या अचल; को बंधक द्वारा या चल को प्रभार द्वारा या अन्यथा सुरक्षित किया गया हो, प्रतिभूतिकृत ऋणों, आस्ति या बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों या बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतिकृत ऋणों का प्रतिभूतिकरण, खरीद, अर्जन, उसमें निवेश, अंतरण, विक्रय, निपटान या व्यापार करना और उसका प्रबंध, व्यवस्था या संग्रहण करना और इसके लिए प्रबंधकर्ता, व्यवस्थाकर्ता या संग्रहण एजेंट की नियुक्ति करना तथा इस संदर्भ में जनता को या निजी निवेशकों को प्रमाणपत्र या अन्य लिखतें जारी करना और इसके बारे में या इस संदर्भ में देय भुगतान की गारंटी और बीमा, उसे पूरा करना व दायित्वों को निभाना तथा इन सभी या किसी एक गतिविधि के संचालन के लिए किसी विशेष उद्देश्य की संस्था, निगमित निकाय या साधन का संवर्द्धन, स्थापना, उत्तरदायित्व, आयोजन, प्रबंध, धारिता या निपटान करना.

78. संरचनागत कार्य या परियोजनाओं के लिए किसी व्यक्ति, फर्म, सरकारी प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनी या निगमित निकाय, चाहे भारत में हो या कहीं और; से तकनीकी सूचना, प्रतिपादन, जानकारी, प्रक्रियाएं, विन्यास, रूपरेखा और विशेषज्ञ की सलाह या वित्तीय सहायता जुटाना तथा ऐसे व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण, एजेंसी या निगमित निकाय को या उसके आदेश पर किसी शुल्क, राजत्व (रॉयल्टी), अधिलाभ (बोनस), पारिश्रमिक का भुगतान करना अथवा उसके बदले में शेयर जारी करना या उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उन्हें किसी अन्य प्रकार से सम्पूर्ति करना.

79. ऐसी कंपनियों या सहायक संस्थाओं का प्रवर्तन एवं निर्माण करना (इसमें बैंकिंग कंपनियां ,आवास वित्त कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल हैं) जिनका उद्देश्य बैंककारी विनियमन अधिवियम, 1949 की धारा 6 या तत्समय के अन्य कानूनों में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक स्वरूप का कारोबार करना है तथा किसी व्यक्ति या कंपनी या सहकारी समिति के कारोबार को समग्रतः या भाग रूप में तब अर्जित एवं अधिग्रहीत करना है, जब वह कारोबार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 या तत्समय के अन्य कानूनों में वर्णित या व्याख्यायित हो.

80. ऐसे किसी अन्य स्वरूप के कारोबार को करना जिसे केंद्रीय सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से कार्यालयीन राजपत्र में यह निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करे कि कारोबार का यह स्वरूप बैंकिंग कंपनी या बैंककारी सहकारी समिति द्वारा करने के लिए किस रूप में विधिसम्मत है.

81. ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो कंपनी के कारोबार के विकास या संवर्द्धन के लिए प्रासंगिक या अनुकूल हैं.

82. भारत में या विश्व के किसी भी भाग में इन सभी या किसी भी कार्य को मूलकर्ता, एजेंट, संविदाकार, ट्रस्टी या अन्यथा के रूप में ट्रस्टी, अटार्नी, एजेंटों या अन्यथा के द्वारा या उनके माध्यम से तथा या तो एकल रूप से अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से करना.

83. ऐसी डिज़ाइनिंग, निर्माण और विकास करना, प्रबंधन की जानकारी, अध्ययन, परियोजनाओं का विकास एवं मूल्यांकन, विशेषज्ञता, आंकड़े, सूचना तथा/ अथवा ऐसी तकनीकी जानकारी का व्यवहार करना जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों में वर्णित कार्यकलापों से संबंधित है.

ग. अन्य उद्देश्य

84. निर्धारक , अभिकल्पक, प्रारूपकार, आकलक, सर्वेक्षक अथवा मूल्यांकक के रूप में कारोबार आरंभ और संचालित करना.

IV. सदस्यों का दायित्व सीमित है.

V. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 1250,00,00,000 (एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये मात्र) होगी जो 10 /- रु. प्रत्येक मूल्य के 125,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभजित होगी.

न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5,00,000 /- रु. (पांच लाख रुपये मात्र) होगी.

हम पृथक व्यक्ति, जिनके नाम, पते एवं विवरण इसमें दिए गए हैं, इस बहिर्नियम के अनुसरण में एक कंपनी बनने के इच्छुक हैं और हम कंपनी की पूंजी में क्रमानुसार हमारे नाम के सामने अलग-अलग लिखी गई संख्या में शेयर लेने के लिए सहमत हैं

क्र. सं.	प्रत्येक अभिदाता का नाम, पता, विवरण, एवं व्यवसाय	अभिदाता द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या	अभिदाता के हस्ताक्षर	साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण एवं व्यवसाय
1.	भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया, आई ए एस, सचिव (वित्तीय क्षेत्र), भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	50,000 (पचास हजार मात्र)	ह./-	ह./- अनिल कुमार राय, निदेशक,वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली.
2.	श्री मेलेवीतिल दामोदरन, आई ए एस, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई डी बी आई टॉवर, कफ परेड, मुंबई.	1 (एक)	ह./-	ह./- एन. एस. वेंकटेश उमप्र, आई डी बी आई , मुंबई.
3.	श्री विनोद राय, आई, ए एस, अतिरिक्त सचिव (वित्तीय क्षेत्र), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली..	1 (एक)	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
4.	श्री सुनील बिहारी माथुर, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई.	1 (एक)	ह./-	ह./- एन. एस. वेंकटेश उमप्र, आई डी बी आई ,मुंबई.
5.	श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आई ए एस, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एवं बीमा), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	1 (एक)	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
6.	श्री अमिताभ वर्मा, आई ए एस, संयुक्त सचिव (बैंकिंग परिचालन), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	1 (एक)	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
7.	श्री पल्लियाझिकोम मोहम्मद कासिम सिराजुद्दीन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	1 (एक)	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
		50,006 (पचास हजार छह)		

मुंबई, दिनांक 24 सितंबर 2004.

कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2001 की धारा 192ए के अनुसार 4 मार्च 2005 को शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के द्वारा पारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17(1) के अंतर्गत विशेष संकल्प की प्रति

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा किसी प्राधिकारीके अनुमोदन / पुष्टिकरण के अधीन , यदि आवश्यक हो अंतरिति के संगम ज्ञापन को मुख्य उद्देश्य खंड III के भाग (क) की क्रम संख्या 5 के रूप में निम्नानुसार अंत:स्थापित करते हुए परिवर्तित किया जाए और एतद्वारा परिवर्तित किया जाता है "

" यह भी संकल्प किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारियों के निर्देशानुसार अथवा विनिर्दिष्ट किए अनुसार ऐसे परिवर्तनों या निबंधन व शर्तों से सहमत होने व उन्हें स्वीकार करने , उन्हें तदनुसार संशोधित करने, उसकी पुष्टि प्राप्त करने तथा उन्हें लागू करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

सत्यापित सत्य प्रतिलिपि

कंपनी सचिव
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
मुंबई

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अंतर्गत
यथावश्यक व्याख्यात्मक विवरण

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंटों का अनुज्ञापन) विनियमन, 2002 के विनियम 4 में यह आवश्यक है कि पंजीकृत इकाई के संगम ज्ञापन में उसके निगमित एजेंट के रूप में बीमा कारोबार की याचना या उपापन का मुख्य उद्देश्य निहित होना चाहिए. आईबीएल ने अपने संगम ज्ञापन में संशोधन कर स्वयं को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के निगमित एजेंट के रूप में पंजीकृत किया है. आईबीएल का आईडीबीआई लि. के साथ समामेलन होने के बाद समामेलित इकाई एक निगमित एजेंट के रूप में गतिविधियों का वहन करेगी. आईडीबीआई लि. को इरडा में पंजीकृत करवाने के लिए इसके संगम ज्ञापन में एक संशोधन आवश्यक होगा.

इस संकल्प से कोई भी निदेशक संबद्ध या इसमें इच्छुक नहीं है.

कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2001 के साथ पढ़े जानेवाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के अनुसार इस संकल्प में सदस्यों की डाक मतपत्र द्वारा सहमति आवश्यक है. तदनुसार सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए इस सूचना के साथ एक डाक मतपत्र फॉर्म संलग्न किया गया है. कंपनी ने डाक मतदान के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी को संवीक्षक नियुक्त किया है. डाक मतपत्र को विधिवत भरकर पूर्व में डाक शुल्क अदा कर दिए गए व पते लिखे संलग्न लिफाफे में भरकर इस प्रकार भेजें कि यह संवीक्षक को 28 फरवरी 2005 को या उससे पहले मिल जाए. संवीक्षा के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और डाक मतपत्र का परिणाम प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषित किया जाएगा. सदस्यों से अनुरोध है कि डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतपत्र के पीछे मुद्रित निर्देशों का अनुपालन करें.

सत्यापित सत्य प्रतिलिपि

कंपनी सचिव
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
मुंबई

कंपनी अधिनियम की धारा 192ए के अनुसार 25 अप्रैल 2008 को डाक मतपत्र के द्वारा पारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अंतर्गत विशेष संकल्प की प्रति

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसरण में तथा केंद्र सरकार के लिखित रूप में संज्ञापन के अधीन कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा नया निगमन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से "इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड" से परिवर्तित कर "आईडीबीआई बैंक लिमिटेड" कर दिया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है ".

" यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को आवश्यकतानुसार अथवा आवश्यक समझे गए अथवा आकस्मिक समझे गए सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीज़ें करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

सत्यापित सत्य प्रतिलिपि

कंपनी सचिव
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
मुंबई

कंपनी अधिनियम की धारा 173 के अनुसार 25 अप्रैल 2008 को डाक मतपत्र के द्वारा पारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अंतर्गत विशेष संकल्प का व्याख्यात्मक विवरण

पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) **[आईडीबीआई एक्ट]** के तहत मीयादी ऋण वित्तपोषक संस्था के रूप में की गई थी. अपने चार्टर के अनुसार तथा अपने पर लागू किए गए सांविधिक प्रतिबंधों के कारण पूर्ववर्ती आईडीबीआई केवल मीयादी ऋण वित्तपोषक संस्था के रूप में ही कार्य करता था तथा इसे वाणिज्यिक बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग के कारोबार से जुड़ने की अनुमति नहीं थी. अंततः सांविधिक प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य में 1994 में आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड नामक एक स्वतंत्र सहायक कंपनी को प्रमोट करना पड़ा. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड हमेशा ही एक पृथक् और विशिष्ट वैधानिक इकाई बना रहा तथा वाणिज्यिक बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग जैसे जिन क्षेत्रों में काम करने में आईडीबीआई असमर्थ था, उनसे जुड़ा रहा. औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 53) **[आईडीबीआई रिपील एक्ट]** के प्रावधानों के अनुसरण में पूर्ववर्ती आईडीबीआई का का कारोबार व उपक्रम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड **(आईडीबीआई लिमिटेड)** नामक कंपनी में अंतरित व निहित कर दिया गया, जोकि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित एक कंपनी है तथा जो भारत सरकार (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग) द्वारा 29 सितंबर 2004 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 1 अक्तूबर 2004 से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) के अर्थ के भीतर बैंककारी कंपनी भी समझी जाएगी. आईडीबीआई रिपील एक्ट के अनुसरण में आईडीबीआई लिमिटेड को पूर्ववर्ती आईडीबीआई के रूप में मीयादी ऋण वित्तपोषक संस्था के रूप में काम करने के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति भी मिल गई है.

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) के तहत 1 अप्रैल 2005 को मंजूर की गई समामेलन योजना के अनुसार पूर्ववर्ती आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (अंतरणकर्ता बैंक) का आईडीबीआई लिमिटेड (अंतरिती) के साथ 2 अप्रैल 2005 को समामेलन किया गया. उक्त समामेलन योजना के अंतर्गत आईडीबीआई लिमिटेड वैधानिक इकाई के रूप में बनी रहेगी. पूर्ववर्ती आईडीबीआई की संरचना और संगठन में हुए बदलाव तथा संव्यवहार्य कारोबार को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि आईडीबीआई लिमिटेड का नाम इस प्रकार बदला जाए कि वह कंपनी द्वारा संव्यवहार्य कारोबार को

प्रतिबिंबित करे. तद्नुसार इसका नाम बदलकर "आईडीबीआई बैंक लिमिटेड" करने का प्रस्ताव है.

इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तित नाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए केंद्र सरकार का सैद्धांतिक अनुमोदन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49बी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है. कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र ने कंपनी को उपलब्ध "आईडीबीआई बैंक लिमिटेड" नामक परिवर्तित नाम अंगीकार कर लिया है. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार कोई भी कंपनी सदस्यों से विशेष संकल्प पारित करवाकर तथा केंद्र सरकार के लिखित रूप में संज्ञापन के बाद अपना नाम बदल सकती है. अतएव यह प्रस्ताव है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 192ए के अनुसार सूचना में बताए अनुसार डाक मतपत्र द्वारा विशेष संकल्प पारित करने का अनुरोध है.

निदेशक मंडल को यह विश्वास है कि इस परिवर्तन के लिए सदस्यों का समर्थन व अनुमोदन प्राप्त होगा.

उपर्युक्त संकल्प को पारित करवाने में कंपनी के किसी भी निदेशक की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कंपनी के सदस्य के रूप के अलावा कोई संबद्धता अथवा हितबद्धता नहीं है.

सत्यापित सत्य प्रतिलिपि

कंपनी सचिव
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
मुंबई